



राजस्थान अधीन प्रशासक

विद्वान अभिभाषक अधीनान्दस ने अधील बहस के दौरान अधील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुंभरपुर ने अधीनान्दस के विरुद्ध राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म ग्री0म0 माखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अधिकरण मानते हुए अधीनान्दस पर जमाना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई कि अधीनान्दस पश्चातवर्ती अधिकर्मी की श्रेणी में परिवर्तित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सफल ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हत्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अधीनान्दस को समर्थित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अधिकर्मी मानते हुए और अधील आदेश के जारिये अधीनान्दस को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध पश्चातवर्ती अधिकर्मी उभे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अधिकरण करने बाबत

तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

द्वारा अधीनान्दस को जारिये समन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड अधील संख्या 27/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अधील द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व राज में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 941/2016 में तहसीलदार सुंभरपुर अधीनान्दस की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अधील अन्तर्गत धारा 76

दिनांक:- 18.12.17

:- निर्णय :-

उपस्थित :- श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अधीनान्दस सरकारी प्रोकर, रेस्पॉडेंट की ओर से

अधील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान अधिनियम 1956

- 1. दीपाराम पुत्र संग्रामराम
 - 2. इंदराम पुत्र संग्रामराम
 - 3. जगदीश पुत्र संग्रामराम
 - 4. मनकपराम पुत्र संग्रामराम जालिगण
- रेवारी निवासीगण खिवान्दी तहसील सुंभरपुर

अधीनान्दस
बनाम
रेस्पॉडेंट :- सरकार जारिये भूमिधारी तहसीलदार सुंभरपुर

राजस्थान अधील : 58/2017
पीठाधीन अधिकाारी : डॉ0 बजरंगसिंह यादौन, आर.ए.एस.
न्यायालय राजस्थान अधील प्रशासक, पाली

राजस्थान प्रान्तीय प्रशासनिक विभाग



उत्तराखण्ड अग्निमापकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अखीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म ग्रीस माखर की ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म ग्रीस माखर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट्स द्वारा उपरोक्त ग्राम पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान अग्निनिधम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से व्यक्तिगत: तामील करवाया गया है, जिस विधिवत तामील मानते हुए चार बार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात और अपील आदेश के जारिये अखीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त ग्राम से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के स्थिति कारावास से दण्डित किया। अपीलाण्ट को अखीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट अखीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से उपस्थित ही नहीं हुआ। तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण को अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय ग्राम पर अनाधिकृत कब्जा करने के

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म ग्रीस माखर की ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म ग्रीस माखर के विरुद्ध राजस्थान अपीलाण्ट्स के कारण अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिवर्तित होने का कारण अखीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अखीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अखीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित है, जिन्हें निरुद्ध रखा जाता है, तो उनके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। अतः प्रकरण को स्थित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट्स अपने परिवार में कमाने वाले व्यक्ति प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अखीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। इससे प्रथम अपीलिय न्यायालय द्वारा भी अखीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। लिये गए हैं। इस प्रकार प्रकरण नियमितकरण योग्य था। अखीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सम्मत आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन नम्बर 844 की ग्राम, जिसके माग पर अपीलाण्ट्स का कब्जा बलाया गया है, उस सम्पूर्ण ग्राम में अखीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा प्रकरण चला ही। अपीलाण्ट्स के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी

कारण अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए और अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की रूटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 941/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 27/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-12-17 को भंडे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खले न्यायालय में सौंपा गया।



राजस्थान अपील न्यायालय
(डॉ० बलरंगसिंह चौहान)

(Handwritten signature)